

डिक्री बमुकदमें ईब्तदाई
अ.आदेश 20 नियम 6-7 व्या.प्रक्रिया संहिता
न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी संगरिया
पीठासीन अधिकारी :- रमेश देव (आर.ए.एस.)
प्रकरण संख्या :- 204 / 2022



रामेश्वरलाल पुत्र श्री भोजराज जाति जाट निवासी बोलावाली तहसील संगरिया
जिला हनुमानगढ़(राज.)

– वादी

बनाम्

1. कृष्ण पुत्र श्री गोपालराम
 2. जगदीश पुत्र श्री गोपालराम
 3. पन्नाराम पुत्र श्री गोपालराम
 4. भागीरथ पुत्र श्री गोपालराम
 5. भारतीय स्टेट बैंक शाखा नई धानमण्डी संगरिया जरिये शाखा प्रबन्धक।
 6. तहसीलदार(राजस्व) संगरिया।
- जाति सभी जाट (सिद्ध) निवासी
बोलावाली तहसील संगरिया जिला
हनुमानगढ़ (राज.)

– प्रतिवादीगण

वाद पत्र अं. धारा 88, 53 आर.टी.ए.

दिनांक :-30.01.2023

यह राजस्व मुकदमा आज मुझ रमेश देव (आर.ए.एस.) के समक्ष वास्ते इनफिसाल कर्तई रोबरू हमारे बहाजरी श्री महावीर बैरड वकील वादीगण मिन जामिन मुदई व श्री दीपेन्द्र जाखड, श्री संजय साहेवाल वकील प्रतिवादीगण पेश होने पर तहसीलदार (राजस्व) संगरिया के पत्रांक प्रा.डिक्री/भूअ./4429 दिनांक 16.12.2022 से प्राप्त विभाजन प्रस्ताव पर उभयपक्ष अभिभाषकगण द्वारा सहमति देने पर वादीगण का वादपत्र मुताबिक खाता विभाजन अन्य सहकाश्तकारों अन्तिम डिक्री किया जाता है।

1. रामेश्वरलाल पुत्र भोजराज जाति जाट साकिन बोलावाली खातेदार की कब्जा काश्त :- चक नं. 10 ए.एम.पी. खाता सं. 82/53 प.नं. 155/161 मु.नं. 19 कि.नं. 5/1/0.215, 5/2/0.038 गै.मु.रास्ता, 6,15/0.506, 16/2/0.089 है।
2. पन्नाराम पुत्र गोपालराम जाति सिद्ध साकिन बोलावाली खातेदार की कब्जा काश्त :- चक नं. 10 ए.एम.पी. खाता सं. 82/53 प.नं. 156/161 मु.नं. 18 कि.नं 10/0.253 है।
3. कृष्ण पुत्र गोपालराम जाति सिद्ध साकिन बोलावाली खातेदार की कब्जा काश्त :- चक नं. 10 ए.एम.पी. खाता सं. 82/53 प.नं. 156/161 मु.नं. 18 कि.नं 10/0.253 है।
4. जगदीश पुत्र गोपालराम जाति सिद्ध साकिन बोलावाली खातेदार की कब्जा काश्त :- चक नं. 10 ए.एम.पी. खाता सं. 82/53 प.नं. 156/161 मु.नं. 18 कि.नं 11/0.253 है।
5. भागीरथ पुत्र गोपालराम जाति सिद्ध साकिन बोलावाली खातेदार की कब्जा काश्त :- चक नं. 10 ए.एम.पी. खाता सं. 82/53 प.नं. 156/161 मु.नं. 18 कि.नं 20-21/0.506 है।

उक्तानुसार वादी एवं प्रतिवादीगण सं. 1 ता 4 का खाता विभाजन कर रकमराज अलग से कायम की जावे।

नोट :-यदि डिक्रीत वादी/ प्रतिवादीगण हक आराजी बैक रहन नहीं है तो अमल दरामद मुताबिक हक-हिस्सा किया जावे।

निज....x....निल....x....मुब्लिक....x....निल....x....बाबत.....x....निल...100/-.....खर्चा मुकदमें के मय शुद वा शरह फीसदी सालाना आज की तारीख वसूलयाबी तकx....को अदा करें। खर्चा पक्षकारान अपना-अपना वहन करेगें।

बसब्त मेरे दस्तख्त एवं मुहर अदालत से आज दिनांक 30.01.2023 को जारी किया गया।



(रमेश देव)
सहायक कलक्टर एवं
उपखण्ड अधिकारी
संगरिया